निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1262) पटना, मंगलवार, 22 जुलाई 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई 2025

सं० वि०स०वि०–10/2025–**3102**/वि०स०––''बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2025'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–22 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०–08/2025]

बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2025

बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) का संशोधन करने के लिये विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–**
   (1) यह अधिनियम बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा–2(छ), धारा–5(1) तथा धारा–9(1) में अंकित शब्द ''अनुमंडल पदाधिकारी'' का प्रतिस्थापन।–**
   उक्त अधिनियम, 2010 की धारा–2(छ), धारा–5(1) तथा धारा–9(1) में अंकित शब्द ''अनुमंडल पदाधिकारी'' के स्थान पर ''अनुमंडल पदाधिकारी अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी'' शब्द समूह अन्तःस्थापित किया जाता है।

3. **बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा–4(1) का प्रतिस्थापन।–**
   इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि के प्रभाव से प्रत्येक दखलकार या स्वामी को सरकार द्वारा समय–समय पर क्षेत्रों के यथा विनिश्चित सम्परिवर्तन शूल्क का भुगतान करना होगा।

4. **बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा–9 की उप धारा–1 में अंकित शब्द ''समाहर्त्ता'' तथा उप धारा–2 में अंकित शब्द ''प्रमंडलीय आयुक्त'' का प्रतिस्थापन तथा उप धारा–2 के पश्चात नया उप–धारा–3 को जोड़ा जाना।–**
   (1) **धारा–9(1)**–उक्त अधिनियम, 2010 की धारा–9 की उप धारा–1 में अंकित शब्द ''समाहर्त्ता'' के स्थान पर ''अपर समाहर्त्ता'' अन्तःस्थापित किया जाता है।
   (2) **धारा–9(2)**–उक्त अधिनियम, 2010 की धारा–9 की उप धारा–2 में अंकित शब्द ''प्रमंडलीय आयुक्त'' के स्थान पर ''समाहर्त्ता''' अन्तःस्थापित किया जाता है।
   (3) **धारा–9(3)**–उपरोक्त उप–धारा–(1) एवं (2) के मामलों का निष्पादन हेतु समय–सीमा का विनिश्चय समय–समय पर सरकार द्वारा किया जायेगा।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य में कृषि भूमि के गैर–कृषि प्रयोजनों से सम्परिवर्त्तन के लिए तथा उससे सम्बद्ध एवं अनुषंगी मामलों को विनियमित करने हेतु बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) प्रवृत्त है तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) नियमावली, 2011 अधिसूचित है।

सम्यक विचारोपरान्त उक्त अधिनियम के कतिपय प्रावधानों में संशोधन एवं उपयोगी प्रावधान जोड़े जाने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसके लिए अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है।

इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के फलस्वरूप अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु ''अनुमंडल पदाधिकारी अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी'' को ''अनुमंडल पदाधिकारी'' के स्थान पर सक्षम प्राधिकार अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित किया जा सकेगा। साथ ही, सम्परिवर्त्तन शूल्क का निर्धारण तथा अपील एवं पुनरीक्षण हेतु समय–सीमा का भी निर्धारण सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से किया जा सकेगा। अपर समाहर्त्ता को अपीलीय प्राधिकार तथा समाहर्त्ता को पुनरीक्षण प्राधिकार घोषित किया जा सकेगा। जिससे मामलों का त्वरित एवं पारदर्शितापूर्वक निष्पादन में तीव्रता लाया जा सकेगा।

अतः यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ठ है।

(संजय सरावगी)
भार–साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक–22.07.2025

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1262-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: https://egazette.bihar.gov.in